



## बिहार विधान परिषद

206वां बजट सत्र

21 फरवरी 2024

----

: [सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी ].

कुल प्रश्न 24

----

### पर्यटकीय सुविधा

\*64 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सूबे की समृद्ध संस्कृति और विरासत के रूप में बाँका जिले के बाँसी में आदि-काल से ही अवस्थित भगवान शिव की प्रथम वासस्थली 'मंदार पर्वत' का अपना धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है जहाँ सीर-सागर, पापहरणी कुण्ड, सीता कुण्ड की मान्यता के साथ-साथ उसकी तलहटी में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु मंदिर, भगवान मधुसूदन मंदिर, माता कामधेनु मंदिर भी हैं जहाँ प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है;

(ख) क्या यह सही है कि मकर-संक्रति पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष भव्य मेले का आयोजन होता है जो लोक आस्था का प्रतीक है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण स्थलों को 'हेरिटेज सर्किट' घोषित कर वहाँ पर विभिन्न पर्यटकीय सुविधाओं के तहत अतिथि गृह, होटल, रिसोर्ट, कन्वेंशन सेंटर आदि का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

----

## अतिक्रमण मुक्त कब तक

\*65 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राजस्व पार्षद, बिहार द्वारा बेतिया राज की जमीन की समीक्षा में यह पाया गया है कि बेतिया राज की जमीन 15 हजार एकड़ से सिमटकर 4600 एकड़ रह गई है;

(ख) क्या यह सही है कि बेतिया राज की जमीन का बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे चिन्हित कर हटाने का आदेश विभाग ने जिलाधिकारी, बेतिया को दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि बेतिया राज की कुल जमीन कितनी है, उसमें कितनी अतिक्रमिit है, कितनी जमीन के दस्तावेज उपलब्ध हैं और कबतक अतिक्रमिit भूमि से अतिक्रमण हटा दिया जायेगा, यदि नहीं तो क्यों?

-----

## सड़क की मरम्मति

\*66 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत शिवहर सिनेमा हॉल चौक से शाहपुर जाने वाली सड़क में दाउद छपड़ा मुख्य सड़क से धोबी टोला तक जाने वाली सड़क की स्थिति जर्जर एवं दयनीय होने के कारण आमजनों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति कराने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक?

-----

## गोलम्बर एवं अंडरपास कबतक

\*67 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के न्यू जगनपुरा चौराहा के पास गोलम्बर नहीं रहने के कारण प्रायः गाड़ियाँ उल्टी दिशा में होकर गुजरती हैं जिससे लोगों के लिए बाईपास पार होकर आर.एम.एस. कॉलनी जाने के क्रम में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल के पास अंडरपास भी नहीं बना हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्यु जगनपुरा चौराहा के पास गोलम्बर एवं अंडरपास बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

-----

### वेतन से जीएसटी

\*68 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):

क्या मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि संपूर्ण बिहार में बेल्ट्रॉन के द्वारा नियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर के वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार बेल्ट्रॉन को प्रतिकर्मी 25209 रुपए देती है;

(ख) क्या यह सही है कि बेल्ट्रॉन के अंतर्गत कार्यरत कर्मी राज्य सरकार के कार्यों का निष्पादन करता है जिसके लिए बेल्ट्रॉन उसको भुगतान करती है;

(ग) क्या यह सही है कि इन डाटा इंट्री ऑपरेटर के वेतन से जीएसटी के रूप में कुल 18% जो लगभग 3846 रुपए है कट जाता है और मात्र 17204 रुपए ही भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उनके वेतन से जीएसटी नहीं काटने पर विचार करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### वैकाल्पिक व्यवस्था

\*69 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना सिटी खाजे कला में विद्युत शवदाह गृह बन जाने के बावजूद अधिकांश लोग इसका उपयोग करने के बजाए धार्मिक आस्था के कारण पौराणिक विधि एवं परम्परा के अनुसार जे०पी०गंगा पथ के नीचे (नदी किनारे) लाश जलते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि दाह –संस्कार हेतु उपयोग में आने वाली सामग्रियां लकड़ी, हुमाद इत्यादि मनमाने दर पर करीब पांच हजार में खरीदना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि आवश्यक सामग्रियों की उचित कीमत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये जाने के कारण गरीब मध्यम वर्ग के अधिकतर लोग दाह- संस्कार में परेशान रहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गंगा किनारे लाश जलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उचित दर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था

सुनिश्चित करने का इरादा रखती है अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

----

### बैठक में भागीदारी

**\*70 श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार ):**

क्या मंत्री, **मंत्रिमंडल सचिवालय** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा एवं नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अक्टूबर 2023 में जिला बीस सूत्री का गठन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि गठन संबंधी अधिसूचना की कंडिका (3) के (v) में मनोनीत एवं विधान सभा कोटे से बने स०वि०प० को जिला की बीस सूत्री की बैठक में अपने गृह जिला में भाग लेने का प्रावधान किया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि कोई व्यक्ति किसी भी जिला के स०वि०प० के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और निर्वाचित होते हैं जो बीस सूत्री गठन से संबंधी अधिसूचना के अनुसार अपने क्षेत्र के बैठक में भागीदारी से वंचित हो जा रहे हैं ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार निर्गत अधिसूचना को संशोधित कर निर्वाचित स०वि०प० को अपने क्षेत्र में जनहित के मुद्दों को उठाने हेतु बैठक में भाग लेने का प्रावधान कर सकती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### मानदेय में बढ़ोतरी

**\*71 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नगर पंचायत के वार्ड आयुक्त के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण पूरे राज्य के नगर पंचायत के वार्ड आयुक्त मायूस हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पंचायती राज विभाग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है जिसके कारण वहाँ खुशहाली है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार नगर पंचायत

के वार्ड आयुक्तों के मानदेय में बढ़ोतरी करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक?

-----

### स्थल का सौन्दर्यीकरण

\*72 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के सिरदला प्रखंड अंतर्गत जर्गा बाबा एक धार्मिक स्थल है, जहाँ प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आया करते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रद्धालुओं के हित में इस धार्मिक स्थल का सौन्दर्यीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?

-----

### जमीन की रसीद

\*73 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के मोकामा अंचल अंतर्गत सुल्तानपुर, मोर मौजा की जमीन आती है;

(ख) क्या यह सही है कि मोकामा अंचल के सुल्तानपुर, मोर मौजा के सर्वे एवं बंदोबस्ती की जमीन की रसीद 2002 के बाद नहीं काटी जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि मोकामा अंचल के सुल्तानपुर, मोर मौजा के जमीन मालिकों का आवेदन मोकामा अंचल में वर्षों से पड़ा हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोकामा अंचल के सुल्तानपुर, मोर मौजा के सर्वे एवं बंदोबस्ती की जमीन की रसीद काटने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

-----

### तालाब का जीर्णोद्धार

\*74 श्री संजय पासवान (विधान सभा):

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में जल-जीवन हरियाली योजना के तहत प्रदेश के

हजारों तालाबों का जीर्णोद्धार करने का व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के खगौल शहर के बीचों-बीच ऐतिहासिक पुराने तालाब को भरकर वेंडर जोन बनाने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में तालाब का जीर्णोद्धार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### पानी निकास की व्यवस्था

**\*75 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर के वार्ड नम्बर 47 महावीर कॉलोनी में वाटर लॉगिंग रहता है जिससे वहां पर सालों भर पानी जमा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर जल जमाव के कारण डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियाँ होने का खतरा बना रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पानी निकास की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### स्टैंड का निर्माण

**\*76 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिले के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड की हालत काफी जर्जर अवस्था में है एवं जलजमाव की स्थिति के कारण आये दिन यात्री दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि खण्ड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल्द-से-जल्द मॉडल बस स्टैंड का निर्माण कार्य करवाना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### बस पड़ाव का निर्माण

**\*77 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलाअंतर्गत सारण मुख्यालय स्थित सरकारी बस

पड़ाव जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बस पड़ाव को बिहार सरकार के द्वारा मॉडल बस पड़ाव बनाने को कहा गया था, परन्तु अब तक निर्माण हेतु जमीन का भी चयन नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त स्थान से प्रतिदिन छः दर्जन से अधिक बसों का परिचालन होता है, जबकि बस पड़ाव स्थल मूलभूत सुविधाओं से पूर्णत वंचित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बस पड़ाव का निर्माण कराने के साथ-साथ बस पड़ाव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----

### दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कारवाई

\*78 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा के जिला पदाधिकारी ने नरहट अंचल में दाखिल-खारिज के मामले में बरती गयी कतिपय गंभीर अनियमितता के आरोप में दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' गठित करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----

### राशि का दुरुपयोग

\*79 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि प. चम्पारण जिला अन्तर्गत नगर परिषद् बगहा में 2022 में सफाई कार्य हेतु सत्तर लाख रुपये थे, 2023 में सत्ताईस लाख रुपये, पुनः तैंतीस लाख रुपये की निविदा की गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद् बगहा में सफाई कार्य पहले के अनुरूप अभी नहीं हो रहा है तथा पैसा बढ़ाकर निविदा कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

-----

## होटल की स्थापना

\*80 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ की विरासत बहुत समृद्ध है, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, रामायण सर्किट, सीता माता की जन्म भूमि, गंगा के पवित्र तट, राजगीर की पहाड़ी, विभिन्न पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में पर्यटकों के रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, खासकर जैसे पर्यटकों के रहने की व्यवस्था नहीं है जो 2-3 दिन के लिए आये जिनसे बिहार को आर्थिक बल मिल सकेगा, केरल में 45 से अधिक फाइव स्टार होटल हैं जबकि बिहार में इसकी संख्या नहीं के बराबर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के पास बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से फाइव स्टार, फोर स्टार, थ्री स्टार होटल की स्थापना के लिए कोई कार्य योजना है, ऐसे होटलों को खोलने के लिए सरकार क्या प्रोत्साहन देने का विचार रखती है?

-----

## पर्यटन से लाभ

\*81 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष के बजट में बिहार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोई योजना है एवं वह योजना कौन सी है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में कला पर्यटन एवं सांस्कृतिक पर्यटन की वृद्धि के लिए अपार संभावनाएं हैं, इस दिशा में पर्यटन विभाग के द्वारा कोई रोड मैप बनाया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि पर्यटन एवं पर्यटकों से बिहार में प्रत्येक वर्ष सरकार को कितना लाभ होता है ?

-----

## अतिक्रमण से मुक्त

\*82 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):



क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला- मधुबनी, प्रखण्ड- मधेपुर, पंचायत- मधेपुर, ग्राम- मधेपुर में श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर को सार्वजनिक मंदिर घोषित करते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद के आदेश के द्वारा दिनांक- 18.05.2013 को निबंधित किया गया था, जिसकी निबंधन संख्या-4253, राजस्व अभिलेख में मौजा-मधेपुर की खाता संख्या-1910, खेसरा संख्या- 10534 की 22 डिसमिल जमीन राधाकृष्ण मंदिर के नाम से दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि मंदिर परिसर की सुरक्षा, पूजा-पाठ, राग-भोग सुचारू रूप से हो सके इसके लिए गणेश तिवारी को न्यास समिति के गठन होने तक न्यास पर्वद द्वारा अधिकृत किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर पर कोई अन्य व्यक्ति कमरे बनाकर अपने निजी उपयोग में लाभ प्राप्त कर रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी मधेपुर द्वारा कई बार नोटिस दिया गया लेकिन असामाजिक तत्व द्वारा न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही उसके द्वारा नोटिस को गंभीरता से लिया गया;

(ङ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला- मधुबनी, प्रखण्ड- मधेपुर, पंचायत- मधेपुर, ग्राम-मधेपुर में श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर में असामाजिक तत्व द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना चाहती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों?

----

### जन औषधि केंद्र

\*83 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के पैक्सों में जन औषधि केंद्र की स्थापना की महत्वाकांक्षी योजना के लिए फार्मासिस्ट नहीं मिल पाना मुख्य रूप से बाधक है ;

(ख) क्या यह सही है कि फार्मासिस्टों के निबंधन की प्रक्रिया बाधित रहने से करीब सात हजार फार्मासिस्टों का निबंधन रुका हुआ है तथा जो फार्मासिस्ट मिल रहे हैं वह ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोलने की योजना को पूर्ण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक?

-----

### जमीन आवंटित

**\*84 श्री अशोक कुमार अग्रवाल ( कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या मंत्री, **आपदा प्रबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला में विगत कई वर्षों से विभिन्न नदियों के कटाव से हजारों परिवार विस्थापित होकर सड़क किनारे बांध पर अस्थायी रूप से शरण लेकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि विस्थापित परिवारों को बसाने के लिये कोई सार्थक पहल विभागीय स्तर पर नहीं की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियान चलाकर भूमि का अर्जन कर विस्थापित परिवारों को जमीन आवंटित कर जमीन का पर्चा देते हुए बसोवासित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

-----

### राशन कार्ड कब तक

**\*85 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिवान सदर एवं अनुमंडल के आम नागरिकों के द्वारा राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि आम जनता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद आज तक राशन कार्ड बना कर उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि आम नागरिकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी आवेदन आज तक जिला अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में लंबित हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी ऑनलाइन आवेदन करने वाले आम नागरिकों का राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

-----

### घेराबंदी कब तक

**\*86 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिले के प्रखंड- तिलौथू अन्तर्गत मौजा- सरैया,

थाना नं०279, खाता नं०. 478, खेसरा नं०. 1038, खतियानी रकबा 0.42 ए० भूमि आर० एस० खतियान में अनाबाद बिहार सरकार, किस्म जमीन पुरानी परती के रुप में दर्ज है, परंतु ग्राम – सरैया स्थित उक्त भूमि की 36 डि० भूमि पर कई पीढियों से आस- पास के अधिकाधिक गांवों के लोगों द्वारा शव दहन का कार्य किया जाता रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त श्मशान घाट की उपयोगिता एवं घेराबंदी संबंधित मामला पूर्व से ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबित है परंतु इस दिशा में अब तक कोई भी अपेक्षित कारवाई नहीं की गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि को श्मशान घाट के रुप में आवंटित कर यथाशीघ्र घेराबंदी करने के साथ-साथ राज्य के वैसे सभी श्मशान घाट जहां शव दहन का कार्य किया जा रहा है, की घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----

### हाईमास्ट लाईट बुझाने की व्यवस्था

\*87 श्री ललन कुमार सराफ (मनोनीत):

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के नगरीय क्षेत्र में आमजन की सुविधा हेतु सरकार ने चौक-चौराहों पर हाईमास्ट लाइट की सुविधा उपलब्ध करायी है;

(ख) क्या यह सही है कि हाईमास्ट लाईट का उपयोग सिर्फ रात्रि के समय किया जाना है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रायः यह देखा जाता है कि हाईमास्ट लाइट दिन के उजाले में भी प्रायः जलता रहता है जिससे विद्युत ऊर्जा का अपव्यय होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हाईमास्ट लाइट सिस्टम को सुबह होते ही बुझाने की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----